

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

प्रेषक :

सचिव,
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड,
भिवानी-127021
Email:- asenr@bseh.org.in

सेवा में,

प्राचार्य
Saraswati College of Edu.
Mandoli, CH. Badli

क्रमांक 6928-6942 /डी.एल.एड.सम्बद्धता SC-522012

दिनांक 29/10/2025

महोदय/महोदया,

आपकी संस्था को महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक एवं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र द्वारा 2009-10 में दी गई अस्थायी सम्बद्धता/ NCTE द्वारा दी गई मान्यता/अनुमति के आधार पर शैक्षिक सत्र 2024-2025 के लिये इस बोर्ड द्वारा निम्न शर्तों पर अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1. संस्था बोर्ड/ शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए पाठ्यक्रम एवं परीक्षाओं से सम्बन्धित जो निर्देश समय - समय पर जारी किये जाते हैं, उनकी दृढ़ता से पालन करेगी।
2. बोर्ड/शिक्षा विभाग की पूर्व अनुमति के बिना संस्था किसी भी स्तर पर पाठ्य योजना में किसी भी प्रकार का संशोधन/ परिवर्तन नहीं करेगी।
3. संस्था परीक्षाओं के संचालन के लिए अपनी संस्था का भवन/फर्नीचर एवं अपने स्टाफ की सेवाएं बोर्ड को उपलब्ध करवायेगी। बोर्ड द्वारा भवन एवं फर्नीचर का किराया इत्यादि नहीं दिया जायेगा।
4. संस्था बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिए बोर्ड को पूर्ण सहयोग देगी ताकि नकल / प्रतिरूपेण एवं अन्य अनियमितताओं पर पूर्ण नियन्त्रण किया जा सके।
5. बोर्ड के निर्देश पर शिक्षकों/छात्रों का रिकार्ड तथ्यों की जांच हेतु उपलब्ध करवाया जायेगा।
6. संस्था का निरीक्षण बोर्ड द्वारा गठित कमेटी / नियुक्त अधिकारी द्वारा किया जा सकता है। जिसमें संस्था पूर्ण सहयोग करेगी। तथा रिकार्ड मांगने पर उसे उपलब्ध करवाना होगा।
7. संस्था द्वारा एन.सी.टी.ई. के निर्देशानुसार गवर्निंग बॉडी का गठन किया जाना अनिवार्य है।
8. स्वीकृत सीटों से अधिक छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
9. संस्था अपने मूल स्थान से भवन को दूसरी जगह एन.सी.टी.ई. की स्वीकृति के बिना शिफ्ट नहीं करेगी।
10. अस्थायी सम्बद्धता जारी रखने के लिये प्रत्येक शैक्षिक सत्र में 50000/- रुपये सम्बद्धता शुल्क जमा करवाना आवश्यक है।
11. संस्था द्वारा इन नियमों का पालन नहीं करने की अवस्था में बोर्ड को संस्था की सम्बद्धता रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

अधीक्षक (सम्बद्धता)

कृते: सचिव